संख्या–1669 / पॉच–1–2019–5(12) / 2014टी0सी0

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (साचीज),
ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः28 नवम्बर, 2019

विषयः– ग्राम उम्भा, जनपद सोनभद्र के चिन्हित पात्र परिवारों तथा एस0ई0सी0सी0(सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेन्सस) 2011 में छूटे हुए पात्र परिवारों को ''मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान'' में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई / पत्रा–199 / 2019–20 / 1691 एवं 1697, दिनांक 12.09.2019, शासन के पत्र संख्या–285 / पांच–1–2019–5(19) / 2018, दिनांक 20 फरवरी, 2019 एवं इसी क्रम में अपने प्रस्ताव दिनांक 13.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

(1)– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 21.07.2019 को की गई घोषणा ''ग्राम उम्भा में सभी पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित किया जायेगा'' के क्रम में जिलाधिकारी सोनभद्र के पत्र दिनांक 10.09.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार ग्राम उम्भा में चिन्हित सभी 37 परिवारों को "मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान" में सम्मिलित करते हुये योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, पर एतद्द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

(2)– यदि भविष्य में कोई ऐसे पात्र परिवार / लाभार्थी समूह पाये जाते हैं जिन्हें योजना में शामिल किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो मा0 मंत्रि–परिषद द्वारा पूर्व अनुमोदित लाभार्थी परिवारों की संख्या–10,11,980 में से शेष बचे 1,68,067 परिवारों की संख्या की सीमा तक ऐसे चिन्हित परिवारों को ''मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान'' में सम्मिलित करने के लिये सक्षम स्तर मा0 मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(3)– ऐसे चयनित परिवारों / लाभार्थी समूह की पात्रता सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित की जायेगी।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त निर्णयों के क्रम में ग्राम उम्भा, जनपद सोनभद्र के चिन्हित पात्र परिवारों तथा एस0ई0सी0सी0(सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेन्सस) 2011 में छूटे हुए पात्र परिवारों को ''मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान'' में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रकरण में प्रगति से शासन को समय–समय पर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. डा0 इंदू भूषण, चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफीसर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
11. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
12. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
13. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
14. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
15. अधिशाषी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
16. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
18. समस्त अनुभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)

संयुक्त सचिव।